राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1123/2025

सुनीता कुमारी –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं (अराजपत्रित), स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, सी–स्किम, जयपुर।
3. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सरिता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ए.एन.एम. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ जिला सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 19.02.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्यारे लाल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, केवियटर
निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से : श्री दिलीप कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकता/ए.एन.एम. के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ जिला सीकर में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोल जिला दौसा में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को संमजित करने के उद्देश्य से बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के राजस्थान पंचायत राज (स्थानान्तरण क्रियाकलाप) नियम–2011 के नियम 8(iii) के विरूद्ध जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को स्थानान्तरण के दौरान यात्रा–भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया है। अपीलार्थी का पति भारतीय सेना में कार्यरत है। वर्तमान में 55 राष्ट्रीय राइफल्स (ग्रेनेडियर्स) में तैनात है (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी अपने दो बच्चों के साथ गांव दांतरू फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर में रह रही है। अपीलार्थी की बेटी सीएलसी सीकर में NEET की तैयार कर रही है और बेटा जितेंद्र, निमावत पब्लिक स्कूल, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर में कक्षा ग्यारहवीं कॉम. में पढ़ रहा है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी अपने माता–पिता की भी देखभाल कर रही है।

अपीलार्थी के कोई भाई और बहन नहीं है। अपीलार्थी का पिता हृदय रोग से पीड़ित है, दिनांक 15.07.2020 को फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल, जयपुर में उनकी बाईपास हार्ट सर्जरी हुई थी। वे लगातार उपचार और देखभाल में है, उनकी देखभाल अपीलार्थी द्वारा ही की जाती है। उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ जिला सीकर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी महिला स्वास्थ्य कार्यकता/ए.एन.एम. के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ जिला सीकर में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोल जिला दौसा में प्रशासनिक कारणों एवं लोकहित में किया गया है। मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.11(1 एमएम)/2018, जयपुर दिनांक 22.11.2021 के द्वारा चिकित्सा मंत्री महोदय को पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार आंवटित है। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य